

जो पद राजगार कार्यालय के
माध्यम से भर जाते हैं
उनके बारे में उम्मीदवारों
की प्रावृत्ति सीमा प्रवधारित
करने की नियमिक
तारीख वह प्रतिम तारीख
होगी जिस तारीख तक
राजगार कार्यालय को
उम्मीदवारों के नाम में जो
के लिए कहा गया हो।

8.	9.	10.	11.	12.	13.	
लागू नहीं होता	2 वर्ष	ओन्ट्रोटि द्वारा जिसके न हो सकने उन नर्सिंग सिस्टरों में से प्रोफ्रेशन नियुक्ति, प्रोफ्रेशन और पुष्टि—लागू नहीं होता। परे संस्थी भर्ती द्वारा।	देकर जिन्होंने इस मेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो।	देकर जिन्होंने इस मेड में 5 वर्ष करने के लिए नियुक्ति, प्रोफ्रेशन और पुष्टि—करने के लिए नियुक्ति, सदस्यों की विभागीय प्रोफ्रेशन तथा उप-प्रोफ्रेशनल, सेडी हार्डिंग सेडिकल कालेज तथा श्रीमती मुचेता कुपलाली हस्पताल। —प्रधान 2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी—सदस्य 3. उप-अधिकारी—सदस्य 4. नर्सिंग अधिकारी—सदस्य	करने के लिए नियुक्ति, सदस्यों की विभागीय प्रोफ्रेशन तथा उप-प्रोफ्रेशनल, सेडी हार्डिंग सेडिकल कालेज तथा श्रीमती मुचेता कुपलाली हस्पताल। —प्रधान करण के बारे में विचार करने के लिए नियुक्ति, सदस्यों की विभागीय प्रोफ्रेशन तथा उप-प्रोफ्रेशनल, सेडी हार्डिंग सेडिकल कालेज तथा श्रीमती मुचेता कुपलाली हस्पताल। —प्रधान करण के बारे में विचार	लागू नहीं होता।

[सं. ए०-१२०१८/१०/७८-प्रशा २ (एम ई यू जी डेस्क)]

‘बी० बी० के० नायर, डेस्क प्रधिका १

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 10th July, 1981

S.R. 689.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, the President by makes the following rules regulating the method of appointment to certain Non-Gazetted (non-Ministerial) Group posts in the Lady Hardinge Medical College and Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, namely :—

Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Lady Hardings Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 2 of the Schedule annexed to these rules.

Number of posts, classification and scale of pay.—The number of posts, their classification and the scales of pay thereto shall be as specified in columns 3 to 5 of said Schedule.

Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—method of recruitment, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in clauses 6 to 14 of the said Schedule.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said post;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

h Marg,
10 001.

1	2	3	4	5	6	7	8
3. Selection Grade Pharmacist	1	General Central Service-Group 'C' Non-Gazetted	Rs. 425-15-560- EB 20-640. Non- Ministerial.	Selection	Not applicable	Not applicable	

9	10	11	12	13	14
Not applicable.	Two years.	By promotion.	Promotion from Pharmacist Dispensary Store Keeper with 5 years regular service in the grade.	Departmental Promotion Committee consisting of the following members for considering recruitment, promotion and confirmation:—	Promo- Not applicable.

(i) Head of the Department of Pharmacology—Chairman
(ii) Chief Administrative Officer—Member.
(iii) Chief Pharmacist-cum-Lecturer in Pharmacy—Member

1	2	3	4	5	6	7	8
4. Technician (X-Ray).	6	General Central Service-Group 'C' Non-Gazetted	Rs. 330-10-380- EB-12-500-EB- 15-560. Non-Ministerial	Non Selection.	*Between 21-30 years. (Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) *Note: The crucial date for determining the age limit mentioned in column 7 of the Recruitment Rules will in each case be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than Andaman and Nicobar Islands and Laksh dweep). In respect of posts, the appointments to which are made through the employment exchanges the crucial date for determining the age limit will, in case, be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.	(i) Matriculation or its equivalent qualification from a recognised Board. (ii) Diploma (2 years' course) in Radiography with one year experience. OR Diploma/Certificate (one year course) with two years' experience.	

9	10	11	12	13	14
Not applicable	Two years	66-2/3% by direct recruitment and 33½% by promotion failing which by direct recruitment.	Promotion from the grade of Dark Room Asstt. with 8 years' regular service in the grade.	Departmental Promotion Committee consisting of the following members for considering recruitment, promotion and confirmations:— (i) Head of Radiology Department—Chairman. (ii) Professor of Surgery—Member. (iii) Chief Administrative-Officer—Member. (iv) Deputy Medical superintendent—Member.	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8
5. Pharmacist/ Dispensary Store-keeper.	11	General Central Service-Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 330-10-380- EB-12-500-EB- 15-560.	Not applicable.	*Between years. *Note : The crucial date for determining the age limit mentioned in column 7 of the Recruitment Rules will in each case be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than Andaman and Nicobar Islands and Laksh dweep). In respect of posts, the appointment to which are made through the employment exchanges the crucial date for determining the age limit will, in each case, be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.	20-35	(i) Matriculation or its equivalent qualification from a recognised Board with Diploma in Pharmacy. (ii) Should be a Registered Pharmacist.

9	10	11	12	13	14
Not applicable	Two years	Direct recruitment	Not applicable	Departmental Promotion Committee consisting of the following members for considering recruitment, promotion and confirmation:— (i) Head of Department of Pharmacology—Chairman. (ii) Chief Administrative Officer—Member. (iii) Chief Pharmacist-cum-Lecturer in Pharmacy—Member	Not applicable

with 5/8 years service in posts in the scale of Rs. 700-1300/ Rs. 850-1200 or equivalent respectively and possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.

(iv) Director/Deputy Secretary/Joint Director (Monitoring)—Member Group 'A' DPC (for considering confirmation):
 (i) Joint Secretary and Finance Adviser in the Department of Chemicals and Fertilizers

(Period of deputation/contract shall ordinarily not exceeding 3 years.)

(ii) Deputy Secretary (Administration)—Member
 (iii) Director/Deputy Secretary/Joint Director (Monitoring)—Member.

Note : The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh sitting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.

[File No. A-42011/4/79-Estt.]

C.R. CHANAN, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 1981

सांख्य का० नि० 689.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एवं द्वारा लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में कृतिपय अरजपत्रित (अलिपिकवर्गीय) समूह "ग" पदों पर भर्ती की पद्धति को नियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संधिष्ठ शीर्षक और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का नाम लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1981 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

2. उपयोगजन :—ये नियमों से संलग्न अनुसूची के कालम-2 में दिए गए पदों पर लागू होंगे।

3. संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान वही होंगे जैसा कि अनुसूची के स्तम्भ 3 से 5 में निर्दिष्ट है।

4. भर्ती की विधि, आयु सीमा, अर्हतायें आदि :—उक्त पदों की भर्ती की विधि, आयु-सीमा, अर्हतायें तथा अन्य बातें वही होंगी जैसाकि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 6 से 14 में निर्दिष्ट हैं।

5. अनहंता :—कोई व्यक्ति, (क) जो किसी व्यक्ति से विवाह करता/ करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है जिसका कि पति या जिसकी पत्नी जीवित हो, अथवा (ख) जो व्यक्ति एक पति / एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता / करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है, सेवा में नियुक्त होने का पात्र नहीं है/होगा :

परन्तु केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अधीन अनुबंध है, और ऐसा करने के अन्य ग्राधार हैं, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

६. छूट देने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार का यह विवार हो कि छूट देना आवश्यक या उचित है वहां वह संबंध लोक सेवा आयोग के परामर्श से और लिखित कारणों के आधार पर आदेश द्वारा किसी श्रेणी या वर्ग से संविधित व्यक्तियों को इन नियमों के किसी उल्लंघन से छूट दे सकती है।

७. दोषाचार्ता : इस संवध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/प्रनुसूचित जनजाति तथा विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये जिन आरक्षणों और अन्य रियायतों की व्यवस्था करना अनिवार्य है, उन पर इन नियमों की किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

लेटी हार्डिंग डेडिकेशन कालेज और श्रीमती मुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, में समृद्धि (ग) पदों के भर्ती नियम,

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद	संघीय भर्ती किए जाने संघीय भर्ती किए जाने वाले अधिकारी अवयव वाले व्यक्तियों की आयु व्यक्तियों के लिए अपेक्षित पद	सीमा	शैक्षिक तथा अन्य अहंताएं
1.	विकास समाज कार्य-कर्ता	1	सामान्य केन्द्रीय सेवा समृद्धि "ग" अराजपत्रित अलिपिक वर्गीय	425-15-500- द० रो० -15 - रुपये	लगू नहीं होता।	* 21 से 28 वर्ष के वीत्र। केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या अदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष तक शिक्षितीय।	अनिवार्य : (1) किसी मास्ता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिप्लोमा। (2) किसी मास्ता प्राप्त संस्था से समाज कार्य में डिप्लोमा, वांछनीय : कम से कम एक वर्ष का समाज कार्य का अनुभव।	

सीधे भर्ती किए जाने परिवेश की भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे प्रोफ्रेशनलियुक्टि/स्थानान्तरण यदि विभागीय प्रोफ्रेशनलियुक्टि भर्ती करने में किन वाले व्यक्तियों के अवधि यदि कोई होगी या प्रोफ्रेशनलियुक्टि द्वारा अवधि द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणि- समिति हैं तो उसकी परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से प्रोफ्रेशनलियुक्टि की दशा में लागू होगी या नहीं। प्रतिशतता विभिन्न पद्धतियों द्वारा स्थानान्तरण किया जाएगा। भर्ती जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती	लागू नहीं होता	भर्ती, पदोन्नति और स्थायी करने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :—	लागू नहीं होता

1. विभाग अध्यक्ष—अध्यक्ष
2. उपचिकित्सा अधीक्षक—सदस्य
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी—सदस्य
4. श्रम कल्याण अधिकारी—सदस्य

*नोट :—भर्ती नियमों के कालम-7 में उल्लिखित आयुसीमा निर्धारित करने की निर्णयिक तारीख प्रत्येक मामले में भारत में रहने वाले अस्थिरियों से (उनसे भिन्न जो अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लकड़ीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख होगी।

जो पद रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भरे जाएंगे उनके बारे में आयुसीमा अवधारित करने की निर्णयिक तारीख प्रत्येक मामले में वह प्रत्येक तारीख होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालयों को उम्मीदवारों के नाम भेजने को कहा गया हो।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. तकनीशियन (एक्स-रे)	6	समान्य केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अलि-	330-10-380- द०रो० 12-500- द०रो० 15-560 पिकवर्गीय	अचयन	* 21 से 30 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार अराजपत्रित अलि-	1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेट या इसके समतुल्य अहंता।		
5. फार्मसिस्ट डिस्पेंसरी स्टोरकीपर	11	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अलि-	330-10-380- द०रो० 12-500- होना पिकवर्गीय	लागू नहीं होना	* 20 से 35 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष तक शिथिलनीय)	2. एक्स-रे चित्रण में सरकारी कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष तक शिथिलनीय) अथवा डिलोमा/सटिफिकेट (एक वर्षीय पाठ्यक्रम) और एक वर्ष का अनुभव।		
*नोट : भर्ती नियमों के कालम-7 में उल्लिखित आयुसीमा निर्धारित करने की निर्णयिक तारीख प्रत्येक मामले में भारत में रहने वाले अध्ययियों से (उनसे भिन्न जो अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख होगी। जो पद रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भरे जाएंगे उनके बारे में आयुसीमा अवधारित करने की निर्णयिक तारीख प्रत्येक मामले में वह अन्तिम तारीख होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालयों को उम्मीदवारों के नाम भेजने को कहा गया हो।								

*नोट : भर्ती नियमों के कालम-7 में उल्लिखित आयुसीमा निर्धारित करने की निर्णयिक तारीख प्रत्येक मामले में भारत में रहने वाले अध्ययियों से (उनसे भिन्न जो अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख होगी। जो पद रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भरे जाएंगे उनके बारे में आयु सीमा अवधारित करने की निर्णयिक तारीख प्रत्येक मामले में वह अन्तिम तारीख होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालयों को उम्मीदवारों के नाम भेजने को कहा गया हो।

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	दो वर्ष	66 2/3 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और 33 1/3 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा इसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	ऐसे डाक रुम महायकों को पदोन्नति देकर जो इस प्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर सकते हों।	भर्ती, पदोन्नति और स्थायी पदोन्नति देकर जो इस प्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर सकते हों।	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	1. विकिरण विज्ञान विभाग के अध्यक्ष -अध्यक्ष 2. शल्यचिकित्सा विज्ञान के प्रोफेसर -सदस्य 3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी -सदस्य 4. उपचिकित्सा अधीक्षक -सदस्य	लागू नहीं होता
				भर्ती, पदोन्नति और स्थायी पदोन्नति देकर जो इस प्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर सकते हों।	
				1. शोध विज्ञान विभाग के अध्यक्ष -अध्यक्ष 2. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी -सदस्य 3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी -सदस्य	